न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
36 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	22.11.2012	15.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश कुमार तोतला पुत्र श्री दुर्गालाल एफ.बी.ओ. मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन बाजार घाड़ तह. देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 8 पटवार भवन के पास घाड़ तह. देवली जिला टोंक
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थी अनु.।

:–निर्णय–: **दिनांक 15.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.06.2012 को समय 02:35 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन बाजार घाड़ तह. देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मुकेश कुमार तोतला पुत्र श्री दुर्गालाल उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार तोतला ने स्वयं को मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन बाजार घाड़ तह. देवली जिला टोंक का मालिक / एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक में **सुगर कन्फैक्शनरी (सुपर कोकोनट बमगोला)** के 630 ग्राम के लगभग 30 प्लास्टिक डिब्बे सील पैक रखे हुये थे जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री मुकेश कुमार तोतला को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री मुकेश कुमार तोतला व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सुगर कन्फैक्शनरी (सुपर कोकोनट बमगोला)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 630–630 ग्राम के चार डिब्बे खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **सुगर कन्फैक्शनरी (सुपर कोकोनट बमगोला)** के चार पैकेट के एक–एक भाग के चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–325 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–325 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/2791 दिनांक 07.08.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/545/एफएसएसए/2012/546 दिनांक 11.07.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सुगर** कन्फैक्शनरी **(सुपर कोकोनट बमगोला) मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का **सुगर** कन्फैक्शनरी **(सुपर कोकोनट बमगोला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 30.04.2015 को श्री अजय सिंह सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 09.06.2017 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस नहीं की गई ना ही अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सुगर कन्फैक्शनरी (सुपर कोकोनट बमगोला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सुगर कन्फैक्शनरी (सुपर कोकोनट बमगोला)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार तोतला पुत्र श्री दुर्गालाल पर शास्ति रूपये 1,50,000/– (एक्षरे एक लाख पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त

दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राजस्थान